174

-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व न्यायालय (रेवेन्यू बोर्ड) ग्वालियर, म.प्र.

पुनर्रीक्षण याचिका कं.   /2015

निग /3894-I-15

571

विमला बाई पिता बाबूलाल जाति चमार,

निवासी– ग्राम भुसण्डा (करंजिया), तहसील बजाग,

जिला डिडौंरी, म.प्र. **याचिकाकर्ता / आवेदिका**

विरूद्ध

26 NOV 2015

म.प्र. शासन **उत्तरार्थी / अनावेदक**

पुनर्रीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

उत्तरार्थी / आवेदक अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय श्रीमान अति. आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर की राजस्व अपील कं. 530/अ–6/13–14 पक्षकार विमला बाई वि. म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 3.3.2015 एवं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रकरण कं. 12/अ–06/08–09 न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, डिंडोरी के आदेश दिनांक 11.3.2014 से दुखित होकर वर्तमान पुनर्रीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

याचिका के तथ्य

1. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रकरण कमांक 20/अ–19/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 15.1.2001 द्वारा ग्राम भुसण्डा की ख.नं. 129 रकवा 0.59 हे.में से 0.38 हे. का व्यवस्थापना किया और इस भूमि को पानी के नीचे की भूमि से पृथक कर लगान निर्धारित किया गया। प्रकरण कमांक 43/अ–19/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 19.1.2001 के द्वारा ग्राम भुसण्डा तहसील बजाग जिला डिंडोरी म.प्र. की भूमि ख.नं. 210 रकवा 0.41 हे. में से 0.21 हे. का व्यवस्थापना म.प्र. ग्रामों की दखल रहित भूमि अधिनियम 1972 संशोधित 1984 के तहत भूमि प्रश्नाधीन पर विमला बाई का मकान एवं कृषि करने से कब्जा होने के आधार पर किया।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3894–एक/15 जिला – डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–8–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 530/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 3–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का लगभग 30–35 वर्ष पुराना कब्जा है और वह उक्त भूमि पर मकान बनाकर निवासरत है । शासन की योजना के तहत उसे भूमि प्राप्त हुई थी । जिलाध्यक्ष ने भूमि खसरा नं. 129 रकबा 0.38 को निस्तार की माना है जबकि इस भूमि पर भी आवेदक का कब्जा है । राजस्व मंडल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जांच कलेक्टर द्वारा नहीं की गई है । ग्रामवासियों का भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा और ना ही उनके द्वारा इस पर निस्तार किया गया है प्रश्नाधीन भूमि चरनोई या पोखन की नही है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं हुआ । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं	

निग.- 3894-I/15 (निवाड़ी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है । पूर्व में प्रकरण राजस्व मंडल में आया था और राजस्व मंडल ने प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर यह निर्देश दिए थे कि प्रश्नाधीन भूमि चरनोई के रूप में निस्तार की है या नहीं इसकी जांच की जाये तत्पश्चात प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जाये । यदि प्रश्नाधीन भूमि निस्तार की नहीं तो व्यवस्थापित भूमि पर आवेदकों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किऐ जाने का आदेश पारित किया जाये । इस आदेश के उपरांत जिलाध्यक्ष ने जांच उपरांत यह पाया है कि खसरा नंबर 129 रकबा 0.38 हैक्टर निस्तार की भूमि होने के कारण उसका आवंटन नहीं किया जा सकता और शेष भूमि पर नामांतरण के आदेश दिये । प्रकरण में जिलाध्यक्ष ने जो आदेश पारित किया है वह राजस्व मंडल के आदेश के अनुरूप और दखिल रहित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से अपर आयुक्त ने उसे स्थिर रखा है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	